



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092022-238736
CG-DL-E-10092022-238736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 2022/भाद्र 19, 1944

No. 612]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2022/BHADRA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

सं. 74/2022-सीमाशुल्क (गै.टे)

सा.का.नि. 692(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) निमयावली, 2022 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- प्रयोज्यता - (1) ये नियम वहाँ लागू होंगे, जहाँ -
क) किसी अधिसूचना में इन नियमों के अनुपालन का प्रावधान है;
ख) कोई आयातकर्ता किसी अधिसूचना का लाभ लेना चाहता है और ऐसा लाभ किसी वस्तु के निर्माण या आउटपुट सेवा के प्रावधान या किसी विशिष्ट व अंतिम उपयोग के लिए उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल के उपयोग पर निर्भर करता है।
- परिभाषा - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;
(ख) "पूँजीगत माल" से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसका मूल्य आयातकर्ता के बहीखाते में पूँजीकृत हो;

- (ग) “सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली” से अभिप्राय भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान प्रणाली से है;
- (घ) “आयात की तारीख” से अभिप्राय धारा 17 के अंतर्गत यथोचित अधिकारी के द्वारा दिए गए उस आदेश की तारीख से है जिसके द्वारा उक्त माल के क्लियरेंस की अनुमति दी गई हो;
- (ङ) “फॉर्म” से अभिप्राय इस नियमावली में संलग्न किसी भी फॉर्म से है;
- (च) “सूचना” से अभिप्राय ऐसे आयातकर्ता के द्वारा दी गई किसी सूचना से है जो कि किसी अधिसूचना का लाभ लेना चाहता है;
- (छ) “कारीगरी” से अभिप्राय इस अधिसूचना के अनुरूप किसी व्यक्ति के द्वारा आयातकर्ता के सामानों, सोने, आभूषण और उससे निर्मित वस्तुओं और अन्य कीमती धातुओं या नगों को छोड़कर, पर की गई कारीगरी, प्रक्रिया या निर्माण से है और शब्द “कारीगर” का अभिप्राय भी तदनु रूप ही होगा;
- (ज) “अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क अधिकारी” से अभिप्राय सीमाशुल्क के ऐसे अधिकारी से है जो कि अधीक्षक या एग्ज़र के पद के समतुल्य हो और जिसके अधिकार क्षेत्र में आता हो-
- क. परिसर जिसमें आयातित माल को या तो किसी विनिर्माण के प्रयोग में किए जाने के लिए या आउटपुट सेवाओं को देने के लिए रखा गया हो;
- ख. वह प्राथमिक पता जो कि किसी अन्य मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किए गए आयातक निर्यातक कोड में विनिर्दिष्ट हो;
- (झ) “निर्माण” से अभिप्राय आयातकर्ता के द्वारा कच्चे माल या इनपुट्स का किसी भी तरीके से किए जाने वाले ऐसे प्रसंस्करण से है जिसके परिणामस्वरूप ऐसा नया उत्पाद उत्पन्न होता हो जिसकी प्रकृति या विशेषता या उपयोग या नाम बिल्कुल अलग हो और शब्द “विनिर्माता” का अभिप्राय भी तदनुसार होगा;
- (ञ) “अधिसूचना” में ऐसी अधिसूचना आती है जो कि इस अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 11 के अंतर्गत जारी की गई हो;
- (ट) “आउटपुट सर्विस” से अभिप्राय आयातित माल का प्रयोग करते हुए किसी सेवा की आपूर्ति से है, जिसमें बिक्री-पश्चात सेवा शामिल नहीं है।
- (ठ) “धारा” से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है।
- (ड) “विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग” से अभिप्राय आयातित माल का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रयोग करने से है और उसमें लभित व्यक्ति को इसकी की जाने वाली आपूर्ति भी शामिल है तथा “अंतिम उपयोग हेतु प्राप्तकर्ता” से अभिप्राय अनुसार ही होगा।
- (2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका कि इन नियमों में प्रयोग हुआ है लेकिन उनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि इस अधिनियम में परिभाषित हैं तो उनका वही अर्थ होगा जो कि उनके लिए इस अधिनियम में दिया गया है।
4. आयातकर्ता के द्वारा एकबारगी पूर्व-सूचना दिया जाना – (1) आयातकर्ता सामान्य पोर्टल पर, फॉर्म आईजीसीआर-1 में एकबारगी पूर्व-सूचना देगा, जिसमें निम्नलिखित बातें निहित होंगी, यथा:—
- (i) आयातकर्ता और उसके कारीगर, यदि कोई हो, का नाम और पता;
- (ii) आयातकर्ता या उसके कारीगर, यदि कोई हो या दोनों के निर्माण स्थल पर उत्पादित माल या की गई प्रक्रिया;
- (iii) आयातकर्ता या उसके कारीगर, यदि कोई हो के परिसर में वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और उसका विवरण;
- (iv) ऐसे आयात पर लागू इस अधिसूचना का ब्यौरा;
- (v) आयातित माल का उपयोग करने में दी गई आउटपुट सेवा की प्रकृति;
- (vi) इकाई अंतरण के स्थिति में प्रयोग किए जाने के लिए वांछित परिसर का ब्यौरा;
- (vii) जहाँ के आयातित माल का किसी विशेष अंतिम उपयोग के लिए आपूर्ति किया जाना है वहाँ अंतिम उपयोग के लिए प्राप्त करने वाले का ब्यौरा; और
- (viii) वांछित आयात पत्तन।
- (2) ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर इसके एवज में शुल्क की रियायती दर (आईजीसीआर) पर माल का आयात पहचान संख्या (आईआईएन) जनरेट की जाएगी:
- बशर्ते कि, यदि फॉर्म आईजीसीआर-1 में दिए गए ब्यौरे में कोई परिवर्तन होता है तो सामान्य पोर्टल पर ऐसी सूचना को अद्यतन किया जाएगा।

(3) वह आयातकर्ता जो कि इस अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है एक निरंतरता बंधपत्र ऐसी सियोरिटी या सिक्योरिटी के साथ जमा करेगा जिसे कि ऐसे उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता हो जहाँ के आयातित माल को किसी वस्तु के निर्माण में प्रयोग किए जाने के लिए या आउटपुट सेवा दिए जाने के लिए रखा गया हो या किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग में प्रयोग किए जाने के लिए रखा जा रहा हो, उचित समझे और साथ में एक अंडरटेकिंग भी देगा कि -

(क) शुल्क से छूट देने वाली अधिसूचना के बारे में, यदि छूट न दी गई होती तो इनपुट्स पर लागू शुल्क और आयात के समय पहले ही भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर के बराबर की राशि और साथ ही धारा 28 कक के अंतर्गत जारी अधिसूचना की दर से तथा जिस माल पर छूट प्राप्त की गई हो उस माल के आयात की तारीख से लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को वह अपने विचलन शुल्क की सम्पूर्ण राशि जिसका कि वह भुगतान करने के लिए दायी है, का पूर्ण भुगतान कर देता है, तक की अवधि के ब्याज का भी भुगतान करेगा;

(ख) उन सभी मामलों में जहाँ कि ऐसी अधिसूचना, उस अधिसूचना से भिन्न है जिसके द्वारा छूट का लाभ दिया गया हो, के मामले में आयात किए जाने वाले माल के आकलन मूल्य के बराबर की राशि का भुगतान करेगा।

5. अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया - (1) आयातकर्ता जो कि किसी अधिसूचना का लाभ लेना चाहता है, को अपने बिल ऑफ एंट्री को भरते समय आईआईएम (नियम 4 के उपनियम (2) में यथा संदर्भित को और अपने निरंतरता बंधपत्र की संख्या और विवरण का उल्लेख करना जरूरी होगा।

(2) उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, आयात के सीमाशुल्क स्टेशन पर आयातकर्ता को इस अधिसूचना का लाभ लेने की अनुमति देगा।

(3) जहाँ कि घरेलू खपत के लिए बिल ऑफ एंट्री को क्लियर कर दिया जाता है वहाँ आयातकर्ता के द्वारा जमा किया गया बंधपत्र सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में स्वतः ही डेबिट हो जाएगा और उसका ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क अधिकारी के पास पहुँच जाएगा।

6. आयातकर्ता के द्वारा रिकार्ड्स का रखा जाना - (1) आयातकर्ता, ऐसा लेखा-जोखा रखेगा जिससे निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो सकें -

(i) आयातित माल की मात्रा और मूल्य ;

(ii) आयातित माल की संबंधित परिसर में प्राप्ति की मात्रा और तारीख;

(iii) खपत हुए ऐसे माल की मात्रा जिसमें निर्माण के लिए घरेलू तौर पर प्रयोग की गई मात्रा भी शामिल है, निर्यातित मात्रा, यदि कोई हो, जिसे वांछित उद्देश्य को पूरा करने में किया गया हो, और अंतिम उपयोग के लिए प्राप्त करने वाले को भेजे गए माल की मात्रा;

(iv) कारीगर के पास भेजे गए माल की मात्रा और कारीगरी, यदि कोई की गई हो, की प्रकृति;

(v) कारीगरी के पश्चात प्राप्त माल की मात्रा;

(vi) नियम 10 के अंतर्गत पुनर्निर्यातित माल, यदि कोई हो, की मात्रा; और

(vii) बिल ऑफ एंट्री के अनुसार स्टॉक में बची मात्रा,

और वह जैसे और जब भी उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क जिसके कि अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता हो या जहाँ कि ऐसे आयातित माल को किसी वस्तु के निर्माण या प्रयोग के लिए रखा जाना हो या आउटपुट सेवा दिए जाने के लिए रखा जाना हो, के द्वारा मांगे जाने पर उक्त विवरण प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि संबंधित परिसर में यदि आयातित माल प्राप्त नहीं होता है या उसकी प्राप्ति अपूर्ण होती है तो ऐसी स्थिति में आयातकर्ता तत्काल सामान्य पोर्टल पर फॉर्म आईजीसीआर-2 में इस प्रकार गैर-प्राप्त या अपूर्ण प्राप्त मात्रा के बारे में सूचित करेगा।

(2) आयातकर्ता अगले महीने की 10 तारीख तक सामान्य पोर्टल पर फॉर्म आईजीसीआर-3 में मासिक विवरण प्रस्तुत किया करेगा;

बशर्ते कि आयातकर्ता बंधपत्र के तत्काल रिक्वेडिट के लिए किसी भी समय फॉर्म आईजीसीआर-3 में उपभोग किए गए माल का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकेगा जो कि अगले महीने के मासिक विवरण का हिस्सा बन जाएगा।

7. आयातित माल का कारीगरी के लिए दिए जाने की अनुमति की प्रक्रिया- (1) आयातकर्ता संबंधित महीने के दौरान कारीगरी के लिए भेजे जाने वाले माल का रिकार्ड रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में यथा संदर्भित मासिक विवरण में उसका उल्लेख भी करेगा।

(2) आयातकर्ता कारीगर के परिसर में माल को एक इनवाईस के तहत या ऐसी किसी भी जगह, जो लागू हो, इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के माध्यम से जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), में संदर्भित हो, भेजेगा और माल का विवरण और उसकी मात्रा का भी उल्लेख करेगा।

- (3) अधिकतम अवधि, जिसके लिए कारीगर के पास माल को भेजा जा सकता है, उप-नियम (2) में संदर्भित इनवाइस या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की तारीख से 6 माह तक होगी।
- (4) यदि आयातकर्ता यह संस्थापित करने में असफल रहता है कि क्या कारीगरी के लिए भेजे गए माल का प्रयोग नियम 4 में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार हुआ है तो अधिकार क्षेत्र वाला सीमाशुल्क अधिकारी नियम 11 और 12 के अंतर्गत आयातकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- (5) कारीगर,-
- (i) प्राप्त माल, उसपर की गई निर्माण प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाले कबाड़ यदि कोई हो, का विवरण रखेगा;
- (ii) जब भी अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा मांग की जाएगी तो उस समय उसके समक्ष इस विवरण को प्रस्तुत करेगा;
- (iii) कारीगरी का काम खत्म हो जाने के बाद वह प्रसंस्कृत माल को आयातकर्ता के पास या आयातकर्ता के निर्देश पर किसी अन्य कारीगर के पास बाकी काम करने के लिए यदि कोई हो, किसी इनवाइस या इलेक्ट्रॉनिक बिल के तहत भेज देगा।
8. आयातित माल के इकाई अंतरण की अनुमति की प्रक्रिया - (1) आयातकर्ता संबंधित महीने के दौरान इकाई अंतरण के लिए भेजे गए माल का विवरण रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में यथा संदर्भित मासिक विवरण में उसका उल्लेख भी करेगा।
- (2) आयातकर्ता केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में यथा विविनिर्दिष्ट किसी इनवाइस या जहाँ भी लागू हो किसी इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के तहत माल को भेजेगा और ऐसे माल के विवरण और उसकी मात्रा का उल्लेख करेगा।
- (3) माल का किसी दूसरी इकाई को अंतरण किए जाने की स्थिति में आयातकर्ता,-
- (i) प्राप्त माल, उसपर की गई निर्माण प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाले कबाड़ यदि कोई हो, का विवरण रखेगा;
- (ii) जब भी अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा मांग की जाएगी तो उस समय उसके समक्ष इस विवरण को प्रस्तुत करेगा;
- (iii) उक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, कार्यकर्ता को शेष प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए चालान या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के कवर के तहत, यदि कोई हो, संसाधित माल को आयातकर्ता के परिसर में वापस भेजेगा जहाँ से माल प्राप्त हुआ था।
9. अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को आयातित माल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया - (1) आयातकर्ता महीने के दौरान अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को आपूर्ति किए गए माल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मासिक विवरण में इसका उल्लेख करेगा।
- (2) आयातकर्ता, माल के विवरण और मात्रा का उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में विविनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के माध्यम से, एक चालान के तहत या जहाँ भी प्रयोज्य हो, माल भेज देगा।
- (3) आपूर्ति के एवज में पुनःपूर्ति या निर्यात के मामले में अंतिम उपयोग हेतु प्राप्तकर्ता-
- i. माल की प्राप्ति का, उस पर की गयी विनिर्माण की प्रक्रिया और ऐसी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे, यदि कोई हो, का हिसाब किताब रखना;
- ii. अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क अधिकारी के द्वारा जब और जैसी मांग की जाएगी उस समय उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा;
- iii. इस अधिसूचना के अंतर्गत लाभ लेने के प्रयोजन से आयातकर्ता को संबन्धित ब्योरा प्रस्तुत करेगा;
10. अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल का पुनः निर्यात या निकासी - (1) आयातकर्ता जिसने अधिसूचना का लाभ उठाया है, आयातित माल का संबन्धित अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और निर्धारित समयावधि में उपयोग करेगा और इस प्रकार आयातित अप्रयुक्त या दोषयुक्त माल के संबंध में आयातकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह उक्त अवधि, अर्थात्-
- i. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि; या
- ii. जहाँ अधिसूचना में ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट न हो वहाँ आयात की तारीख से छह महीने के भीतर
- उसका पुनः निर्यात कर दे या उसका घरेलू उपयोग में इस्तेमाल कर ले;
- बशर्ते कि यदि इस बात के लिए पर्याप्त कारण दर्शाये जाते हैं कि उक्त समयावधि का पालन न कर पाने का कारण आयातकर्ता के नियंत्रण से बाहर का हो तो उक्त छह माह की अवधि को अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त के द्वारा अधिकतम तीन माह की अवधि तक और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल के किसी भी पुनः निर्यात को आयातकर्ता द्वारा मासिक विवरण में आवश्यक निर्यात दस्तावेजों का विवरण प्रदान करके दर्ज किया जाएगा:
- बशर्ते कि पुनः निर्यात के लिए ऐसे माल का मूल्य आयात के समय उक्त माल के मूल्य से कम नहीं होगा।

(3) आयातकर्ता जो घरेलू उपभोग के लिए अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल को साफ करना चाहता है, उसके पास सामान्य पोर्टल पर ब्याज के साथ लागू शुल्क के स्वैच्छिक भुगतान का विकल्प होगा और इस तरह की मंजूरी और शुल्क भुगतान का विवरण आयातकर्ता द्वारा मासिक विवरण में दर्ज किया जाएगा।

(4) आयातकर्ता के पास आयातित पूंजीगत माल को खाली करने का विकल्प होगा, विविनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के बाद, इस तरह के माल पर लगाए गए शुल्क के बीच अंतर के बराबर शुल्क के भुगतान पर, लेकिन छूट के लिए और जो पहले से भुगतान किया गया है, यदि कोई हो, आयात के समय, ब्याज के साथ, दर पर धारा 28कक के तहत जारी अधिसूचना द्वारा तय की गई, सीधी रेखा पद्धति में अनुमत मूल्यहास मूल्य पर निम्नानुसार है -

- (i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 4%;
- (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 3%;
- (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 3%;
- (iv) चौथे और पांचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 2.5%;
- (v) और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2% की दर से

स्पष्टीकरण - (1) इस नियम के तहत किसी तिमाही के किसी भी भाग के लिए मूल्यहास की दर की गणना के लिए, संपूर्ण तिमाही माना जाएगा।

(2) मूल्यहास की अनुमति उस तारीख से दी जाएगी जब आयातित पूंजीगत माल इस उद्देश्य के लिए उपयोग में आया है, जैसा कि अधिसूचना में, इसकी मंजूरी की तारीख निर्धारित किया गया है।

(5) आयातकर्ता के पास सामान्य पोर्टल के माध्यम से ब्याज सहित शुल्क के स्वैच्छिक भुगतान का विकल्प होगा और ऐसी निकासी का विवरण और शुल्क भुगतान मासिक विवरण में आयातकर्ता द्वारा दर्ज किया जाएगा।

11. कुछ मामलों में शुल्क की वसूली - आयातकर्ता के द्वारा (1) नियम 10 के उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर या जहां नियम 10 के उप-नियम (3) और (4) में विविनिर्दिष्ट भुगतान नहीं किया जाता है या कम भुगतान किया जाता है, तो उस स्थिति में उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता हो जहां आयातित माल को किसी वस्तु के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने के लिए या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए या आउटपुट सेवा देने के लिए रखा जाना होगा-

- (क) अधिसूचना के मामले में, जो इस तरह के सामान पर लगाए गए शुल्क के बीच अंतर के बराबर शुल्क छूट प्रदान करता है, लेकिन छूट के लिए और जो पहले से भुगतान किया गया है, यदि कोई हो, आयात के समय, ब्याज के साथ, दर पर धारा 28कक के तहत जारी अधिसूचना द्वारा तय की गई अवधि के लिए, माल के आयात की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए जिस पर छूट का लाभ उठाया गया था और शुल्क के अंतर की पूरी राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख के साथ समाप्त होने के लिए वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;
- (ख) ऐसे मामलों में जहां की यह अधिसूचना उस अधिसूचना भिन्न हो जिसके द्वारा छूट लाभ प्रदान की गई है, आयात किए जा रहे माल के निर्धारणीय मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

(2) जॉब-वर्क के लिए आयातित मालों को हटाने और प्रसंस्करण के संबंध में इन नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, आयातक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उक्त माल का उपयोग अधिसूचना में प्रदान किए गए उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है और ऐसा करने में विफलता की स्थिति में, सीमा शुल्क उपायुक्त, या, जैसा भी मामला हो, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता हो जहां आयातित माल को किसी वस्तु के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने के लिए या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए या आउटपुट सेवा देने के लिए रखा जाना होगा, तदनुसार किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के साथ कार्रवाई करेगा, जो अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या किसी अन्य कानून के तहत की जा सकती है।

12. दंड - आयातकर्ता या कार्मिक जो इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस तरह के उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए जो अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या किसी अन्य कानून के तहत वर्तमान में लागू हो सकती है धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के तहत विविनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

13. सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 1996 के अनुपालन में कोई भी नियम, अधिसूचना, परिपत्र, निर्देश, स्थायी आदेश, व्यापार नोटिस या अन्य आदेश और उसका कोई प्रावधान या सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2016 और उसके किसी भी प्रावधान या सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 और उसके किसी भी प्रावधान को सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विविनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 के संदर्भित माना जाएगा।

प्रारूप आईजीसीआर- 1

[नियम 4(1) देखें]

आयातक द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्व सूचना

भाग-क

I. आयातक का विवरण

क्र.सं.	सूचना	विवरण
1	आईजीसी संख्या	
2	आयातक का नाम :	
3	आयातक का मूल पता :	
4	जीएसटीआईएन	
5	आयात का बंदरगाह	

II. आयातक या कारीगर के परिसर में या एक विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए उपयोग किए जाने के लिए रियायती दर पर आयातित माल:

क्र.सं.	सीटीएच	उपयोग किए जाने के लिए आयातित माल का विवरण
(1)	(2)	(3)

III. उठाया गया अधिसूचना का लाभ और इच्छित उद्देश्य

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना क्रम सं.	इच्छित उद्देश्य का प्रकार	उत्पादन
			#	शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे माल या घटकों के उपयोग से निर्मित होने वाले माल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए आयातित	जहाँ वांछित उद्देश्य माल का निर्यात करना है		जब इसकी आपूर्ति अंतिम उपयोग वाले प्राप्तकर्ता को की गई है	आउटपुट सेवा का प्रावधान	
विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग का विवरण	सीटीएच	निर्यात किए जाने वाले माल का विवरण	अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता का विवरण	एसएसी कोड	शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे माल या घटकों के उपयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का विवरण
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

#: आयातक निम्नलिखित में से किसी एक को चुन सकता है -

(1) निर्माण (2) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग (3) माल का निर्यात (4) अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को आपूर्ति (5) आउटपुट सेवा का प्रावधान

IV. आयातक द्वारा आईजीसीआर के लिए उपयोग की जाने वाली वांछित निर्माण सुविधाएं

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	निर्माण इकाई का पता	आयातक के निर्माण स्थल में उत्पादित या प्रसंस्कृत माल।
(1)	(2)	(3)	(4)

V. कारीगर द्वारा आईजीसीआर के लिए उपयोग की जाने वाली वांछित निर्माण सुविधाएं (एक से अधिक कारीगर के मामले में, प्रत्येक कारीगर के संबंध में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए)

क्र.सं.	कारीगर का जीएसटीआईएन या कारीगर का पैन	कारीगर के निर्माण इकाई का पता	कारीगर के निर्माण स्थल में उत्पादित या प्रसंस्कृत माल।
(1)	(2)	(3)	(4)

Vक. इकाई स्थानांतरण के मामलों में आईजीसीआर के लिए उपयोग की जाने वाली वांछित निर्माण सुविधाएं

क्र.सं.	जीएसटीआईएन की इकाई	निर्माण इकाई का पता	निर्माण स्थल पर उत्पादित या प्रसंस्कृत माल
(1)	(2)	(3)	(4)

Vख. अंतिम प्राप्तकर्ता का विवरण

क्र.सं.	अंतिम प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन	अंतिम प्राप्तकर्ता की इकाई का पता	अंतिम प्राप्तकर्ता की निर्माण स्थल में उत्पादित या प्रसंस्कृत माल	अंतिम प्राप्तकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्यातों का विवरण, यदि कोई हो, का उपयोग करना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग-ख

(भाग 'क' को जमा करने के पश्चात् भरा जाना है)

बंधपत्र का विवरण

1	निरंतरता बंधपत्र सं. और तारीख	
(क)	बंधपत्र की राशि	
(ख)	बंधपत्र की शेष राशि	

टिप्पणी :- बंधपत्र की राशि वित्तीय वर्ष के दौरान परित्यक्त अनुमानित शुल्क होगी।

प्रपत्र आईजीसीआर- 2

[नियम 6(1) देखें]

आयातक द्वारा प्रदान की जाने वाली आयातित माल की गैर प्राप्ति के संबंध में सूचना

I. आईआईएन: _____

II. अप्राप्तमाल का विवरण

क्र.सं.	बिल की प्रविष्टि सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद का क्र.सं.	अप्राप्त मात्रा	भुगतान की गई राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्रपत्र आईजीसीआर -3

[नियम 6(2) देखें]

_____, 20__ के लिए मासिक विवरण

I. आईआईएन:

II. माह के दौरान शुल्क के भुगतान पर आयात, उपभोग, पुनः निर्यात, उपयोग के लिए लंबित या निकासी किए गए माल का विवरण:

बीई की सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद क्र.सं.	माल का विवरण	विनिर्दिष्ट उद्देश्य	आयात की मात्रा	निकासी की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

जारी ...

वस्तुओं का मूल्य	परित्यक्त शुल्क				प्राप्त मात्रा	माल की प्राप्ति की तारीख	अप्राप्त मात्रा	वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा	घरेलू स्तर पर आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोगी [(18) में से]	अंतिम प्राप्तकर्ता को आपूर्ति [(18) में से]	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग [(18) में से]
	बीसीडी	अन्य सीमा शुल्क	आईजीएसटी	उपकर							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18क)	(18ख)	(18ग)

जारी ...

ऐसा माल जिसे पुनः निर्यात किया गया हो (मात्रा)	शुल्क के भुगतान पर माल की निकासी (मात्रा)	स्टॉक में लंबित मात्रा	
		आयातक के परिसर में लंबित मात्रा	कारिगर या आयातक की अन्य इकाइयों के पास लंबित मात्रा
(19)	(20)	(21)	(22)

IIIक. इकाई के अंतर्गत का विवरण:

बीई की सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद का क्र.सं.	कारीगरी के लिए भेजी गई मात्रा	जीएसटीआईएन के कारीगर	डिलीवरी चालान/ई वे-बिल	दिनांक	वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग की गई और सीधे कारीगरी परिसर से हटाई गई मात्रा	वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग की गई और आयातक के परिसर में वापस प्राप्त की गई मात्रा	मध्यवर्ती उत्पाद के लिए उपयोग की गई और आयातक के परिसर में वापस प्राप्त की गई मात्रा	प्रसंस्करण के बिना कारीगरी से आयातक के परिसर में प्राप्त मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

IV. पुनः निर्यात विवरण:

बीई की सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद का क्र.सं.	पुनः आयातित माल की मात्रा	एसबी की सं.	एसबी की तारीख	एसबी चालान का क्र.सं.	एसबी मद की क्र.सं.	निर्यात का बंदरगाह
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

V. शुल्क के भुगतान पर मंजूरी :

बीई की सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद का क्र.सं.	क्लेयर की गई मात्रा	भुगतान की गई राशि	मूल्यह्रास के बाद स्वीकृत पूंजीगत सामान (हां या नहीं)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Vक. अंतिम प्राप्तकर्ता को आपूर्ति:

बीई की सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद का क्र.सं.	अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को भेजी गई मात्रा	अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन	डिलीवरी चालान/ई वे-बिल	दिनांक	अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता का आईईसी (यदि लागू हो)	आपूर्ति की प्रकृति (निम्न में कोई एक को चुने*)	पुनः पूर्ति प्राधिकार ब्योरा #
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

* पुनः पूर्ति ; टैरिफ कोटा ; आपूर्ति के एवज में निर्यात ; # केवल पुनः पूर्ति के मामले में

Vख. जहां वांछित उद्देश्य निर्यात है, या तो आयातक द्वारा या अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा :

बीई की सं.	बीई की तारीख	आयात का बंदरगाह	चालान की क्र.सं.	मद का क्र.सं.	क्या निर्यात अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा हैं (हां नहीं)	(यदि (6) का उत्तर हां है) अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन	(यदि (6) का उत्तर हां है) डिलीवरी चालान/ई-वे-बिल [जब अंतिम उपयोग प्राप्तकर्ता को आपूर्ति की जाती है]	निर्यात किए गए माल में उपयोग किए गए आयातित इनपुट की मात्रा	एसबी की संख्या	एसबी की तारीख	निर्यात का बंदरगाह
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

एसबी चालान की क्र.सं.	एसबी मद	निर्यात किए गए माल का विवरण	निर्यात की मात्रा	पुनः पूर्ति के अंतर्गत निर्यात (हाँ/नहीं)	बीआरसी प्राप्त हुई (हाँ/नहीं)	अतिरिक्त टिप्पणी
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

[फा. सं. 450/28/2016-सीयूएस-IV]

अनंत राधाकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2022

No. 74/2022 - Customs (N. T.)

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

- Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application. - (1) These rules shall apply where -
 - a notification provides for the observance of these rules;
 - an importer intends to avail the benefit of any notification and such benefit is dependent upon the use of the goods imported being covered by that notification for the manufacture of any commodity or provision of output service or being put to a specified end use.
- Definition. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - “capital goods” means goods, the value of which is capitalized in the books of account of the importer;
 - “customs automated system” means the Indian Customs Electronic Data Interchange System;

- d. “date of import” means the date of the order made by the proper officer under section 47, permitting clearance of the goods;
- e. “Form” means a form annexed to these rules;
- f. “information” means the information provided by the importer who intends to avail the benefit of a notification;
- g. “job work” means any treatment, process or manufacture, consistent with the notification undertaken by a person on goods belonging to the importer except gold, jewellery and articles thereof, and other precious metals or stones and the term “job worker” shall be construed accordingly;
- h. “jurisdictional Custom Officer” means an officer of Customs of a rank equivalent to the rank of Superintendent or Appraiser exercising jurisdiction over –
- a. the premises where either the goods imported shall be put to use for manufacture or for rendering output services;
 - b. the primary address specified in the Importer Exporter Code issued by Directorate General of Foreign Trade in other cases;
- i. “manufacture” means the processing of raw materials or inputs by the importer in any manner that results in emergence of a new product having a distinct nature or character or use or name; and the term “manufacturer” shall be construed accordingly;
- j. “notification” includes any notification issued under sub-section (1) of section 25 and section 11 of the Act;
- k. “output service” means supply of service excluding after-sales service, utilising imported goods.
- l. “section” means a section of the Act.
- m. “specified end use” means dealing with the goods imported in a manner specified in the notification and includes supply to the intended person and the term “end use recipient” shall be construed accordingly.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the said Act.

4. Importer to give one-time prior information. – (1) The importer shall provide one-time prior information on the common portal, in Form IGCR-1 containing the following particulars, namely: —
- i. the name and address of the importer and his job worker, if any;
 - ii. the goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the importer or his job worker, if any, or both;
 - iii. the nature and description of goods imported used in the manufacture of goods at the premises of the importer or the job worker, if any;
 - iv. particulars of the notification applicable on such import;
 - v. nature of output service rendered utilising the goods imported;
 - vi. particulars of premises intended to be used in case of unit transfer;
 - vii. details of the end use recipient in cases where goods imported are supplied for specified end use; and
 - viii. the intended ports of import.

(2) On acceptance of the information, an Import of Goods at Concessional Rate of Duty(IGCR) Identification Number (IIN) shall be generated against such information :

Provided that such information may be updated on the common portal in case of a change in the details furnished in Form IGCR-1.

(3) The importer who intends to avail the benefit of a notification shall submit a continuity bond with such surety or security as deemed appropriate by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the goods imported shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service or being put to use for a specified end use, with an undertaking to pay -

- a. in case of a notification that provides a duty exemption, the amount equal to the difference between the duty leviable on inputs but for the exemption and that already paid, if any, at the time of import, along with interest, at the rate fixed by notification issued under section 28AA, for the period starting from the date of import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the difference of duty that he is liable to pay ;

- b. in all cases where the notification is other than one that provides an exemption benefit, the amount equal to the assessable value of the goods being imported.

5. Procedure to be followed. - (1) The importer who intends to avail the benefit of a notification shall be required to mention the IIN (referred to in sub-rule (2) of Rule 4) and continuity bond number and details while filing the Bill of Entry.

(2) The Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be, Assistant Commissioner of Customs at the custom station of importation shall allow the benefit of the notification to the importer.

(3) Where a Bill of Entry is cleared for home consumption, the bond submitted by the importer gets debited automatically in the customs automated system and the details shall be made available electronically to the jurisdictional Customs Officer.

6. Importer to maintain records.- (1) The importer shall maintain an account so as to clearly indicate -

- i. quantity and value of goods imported;
- ii. quantity and date of receipt of the goods imported in the relevant premises;
- iii. quantity of such goods consumed including the quantity used domestically for manufacture, quantity exported, if any, to fulfil the intended purpose and quantity of goods sent to an end use recipient;
- iv. quantity of goods sent for job work and the nature of job work carried out;
- v. quantity of goods received after job work;
- vi. quantity of goods re-exported, if any, under rule 10; and
- vii. quantity remaining in stock, according to bills of entry,

and shall produce the said account as and when required by the Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises or where the goods imported shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service:

Provided that in case of non-receipt or short receipt of goods imported in the relevant premises, the importer shall intimate such non-receipt or short receipt immediately on the common portal in the Form IGCR-2.

(2) The importer shall submit a monthly statement on the common portal in the Form IGCR-3 by the tenth day of the following month;

Provided that the importer may submit details of goods consumed in the Form IGCR-3A at any point of time, for immediate recredit of the bond which shall become a part of the monthly statement of the subsequent month.

7. Procedure for allowing imported goods for job work. - (1) The importer shall maintain a record of the goods sent for job work during the month and mention the same in the monthly statement referred to in sub-rule (2) of Rule 6.

(2) The importer shall send the goods to the premises of the job worker under an invoice or wherever applicable, through an electronic-way bill, as specified in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), mentioning the description and quantity of the goods.

(3) The maximum period for which the goods can be sent to the job worker shall be six months from the date of invoice or electronic way bill referred to in sub-rule (2).

(4) In case the importer is unable to establish that the goods sent for job work have been used as per the particulars mentioned under rule 4, the jurisdictional Customs Officer shall take necessary action against the importer under rule 11 and 12.

(5) The job worker shall,-

- i. maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated, if any, during such process;
- ii. produce the account details before the jurisdictional Customs Officer as and when required by the said officer;
- iii. after completion of the job work send the processed goods to the importer or to another job worker as directed by the importer for carrying out the remaining processes, if any, under the cover of an invoice or electronic way bill.

8. Procedure for allowing imported goods for unit transfer. – (1) The importer shall maintain a record of the goods sent for unit transfer during the month and mention the same in the monthly statement referred to in sub-rule (2) of rule 6.

(2) The importer shall send the goods under an invoice or wherever applicable, through an electronic-way bill, as specified in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), mentioning the description and quantity of the goods.

(3) The importer shall in relation to transfer of goods to another unit,-

- i. maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated, if any, during such process;
- ii. produce the account details before the jurisdictional Customs Officer as and when required by the said officer;
- iii. after completion of the said process, send the processed goods back to the premises of the importer from where the goods were received or to a job worker for carrying out the remaining processes, if any, under the cover of an invoice or electronic way bill.

9. Procedure for supplying imported goods to the end use recipient. – (1) The importer shall maintain a record of the goods supplied to the end use recipient during the month and mention the same in the monthly statement referred to in sub-rule (2) of rule 6.

(2) The importer shall send the goods under an invoice or wherever applicable, through an electronic way bill, as specified in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), mentioning the description and quantity of the goods.

(3) In case of supply for replenishment or Export against supply, the end use recipient shall,-

- i. maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated, if any, during such process;
- ii. produce the account details before the jurisdictional Customs Officer as and when required by the said officer;
- iii. produce the relevant details to the importer for fulfilment of the benefit under the notification;

10. Re-export or clearance of unutilised or defective goods. - (1) The importer who has availed the benefit of a notification shall use the goods imported in accordance with the conditions mentioned in the concerned notification within the period and with respect to unutilised or defective goods, so imported, the importer shall have an option to either re-export or clear the same for home consumption, within the said period, namely –

- (i) within the period specified in the notification;
- (ii) within six months from the date of import, where the time period is not specified in the notification:

Provided that, the said period of six months can be further extended by the jurisdictional Commissioner for a period not exceeding three months, if sufficient reason is shown that the causes for not conforming to the time period were beyond the importer's control.

(2) Any re-export of the unutilised or defective goods referred to in sub rule (1) shall be recorded by the importer in the monthly statement by providing the details of necessary export documents:

Provided that the value of such goods for re-export shall not be less than the value of the said goods at the time of import.

(3) The importer who intends to clear unutilised or defective goods for home consumption shall have an option of voluntary payment of applicable duty along with interest on the common portal and the particulars of such clearance and the duty payment shall be recorded by the importer in the monthly statement.

(4) The importer shall have an option to clear the capital goods imported, after having been used for the specified purpose, on payment of duty equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption availed and that already paid, if any, at the time of importation, along with interest, at the rate fixed by the notification issued under section 28AA, on the depreciated value allowed in straight line method as under —

- i. for every quarter in the first year @ 4%;
- ii. for every quarter in the second year @ 3%;
- iii. for every quarter in the third year @ 3%;
- iv. for every quarter in the fourth and fifth year @ 2.5%;
- v. and thereafter for every quarter @ 2%.

Explanation. - (1) For the purpose of computing rate of depreciation under this rule for any part of a quarter, a full quarter shall be taken into account.

- (2) The depreciation shall be allowed from the date when the capital goods imported have come into use for the purpose as laid down in the notification, upto the date of its clearance.
- (5) The importer shall have the option of voluntary payment of the duty along with interest, through the common portal and the particulars of such clearance and the duty payment shall be recorded by the importer in the monthly statement.
11. Recovery of duty in certain case. – (1) In the event of any failure on the part of the importer to comply with the conditions mentioned in sub-rule (1) of rule 10 or where the payment referred in sub-rules (3) and (4) of rule 10 is not paid or short paid, the Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be, Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for specified end use or for rendering output service shall take action by invoking the Bond to initiate the recovery proceedings of an amount as under -
- in case of a notification that provides a duty exemption, equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption and that already paid, if any, at the time of importation, along with interest, at the rate fixed by notification issued under section 28AA, for the period starting from the date of import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the difference of duty that he is liable to pay;
 - in cases where the notification is other than one that provides an exemption benefit, an amount equal to the assessable value of the goods being imported.
- (2) Notwithstanding anything contained in these rules in relation to removal and processing of imported goods for job-work, the importer shall be responsible for ensuring that the said goods are used in accordance with the purposes provided in the notification and in the event of failure to do so, the Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for specified end use or for rendering output service shall take action in accordance with these rules, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force.
12. Penalty. -The importer or a job worker who contravenes any of the provisions of these rules or abets such contravention shall be liable to a penalty to an extent of the amount specified under clause (ii) of sub-section (2) of section 158 without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force.
13. References in any rule, notification, circular, instruction, standing order, trade notice or other order pursuant to the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996 and any provision thereof or to the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 2016 and any corresponding provisions thereof or to the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 and any corresponding provisions thereof shall be construed as reference to the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.

Form IGCR- 1

[See rule 4(1)]

Prior information to be provided by the importer**PART-A****I. Details of importer**

Sl.No.	Information	Details
1	I.E.C No.	
2	Name of the importer :	
3	Principal address of the importer	
4	GSTIN	
5	Port of import	

II. Goods imported at concessional rate intended to be used at premises of importer or job worker or for a specified end use:

Sl.No.	CTH	Description of goods imported to be used
(1)	(2)	(3)

III. The notification benefit availed and intended purpose

Sl.No.	Notification number	S.no in the notification	Type of intended purpose	Manufacturing
			*	Description of goods intended to be manufactured by use of raw materials or components imported at concessional rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Imported for Specified end use	When intended purpose is export of goods		When supplied to an end use recipient	Provision of output service	
Description of specified end use	CTH	Description of goods intended to be exported	Details of end use recipient	SAC Code	Description of service intended to be provided by use of raw materials or components imported at concessional rate of duty
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

*: The importer may choose one among the following –

(1) Manufacturing (2) Specified End Use (3) Export of goods (4) Supply to end use recipient (5) Provision of output service

IV. Manufacturing Facilities intended to be used for IGCR by Importer

Sl.No.	GSTIN	Address of the manufacturing unit	Goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the importer.
(1)	(2)	(3)	(4)

V. Manufacturing facilities intended to be used for IGCR by job worker (in case of more than one job worker, above information should be furnished in respect of each job worker)

Sl.No.	GSTIN of Job worker or PAN of job worker	Address of the manufacturing unit of job worker	Goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the job worker.
(1)	(2)	(3)	(4)

VA. Manufacturing facilities intended to be used for IGCR in cases of unit transfer

Sl.No.	GSTIN of the unit	Address of the manufacturing unit	Goods produced or process undertaken at the manufacturing facility
(1)	(2)	(3)	(4)

VB. Details of the end use recipient

Sl.No.	GSTIN of end use recipient	Address of the unit of end use recipient	Goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the end use recipient	Details of exports, if any, to be made by end use recipient, utilising goods imported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PART-B

(To be filled after submission of Part A)

Bond details

1	Continuity bond no. and date	
(a)	Amount of Bond	
(b)	Balance amount of Bond	

Note:- The amount of bond will be the estimated duty foregone during the financial year

Form IGCR- 2

[See rule 6(1)]

Intimation regarding non-receipt of goods imported to be provided by the Importer

I. IIN: _____

II. **Details of goods not received**

Sl. No.	Bill of entry No.	BE date	Port of import	Invoice S.No.	Item S.No.	Quantity not received	Amount paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Form IGCR -3

[See rule 6(2)]

MONTHLY STATEMENT for _____, 20__

I. IIN :

II. **Details of goods imported, consumed, re-exported, pending for use or cleared on payment of duty during the month:**

BE Number	BE Date	Port of import	Invoice S.No.	Item S.No.	Description of goods	Specified purpose	Quantity of import	Date of clearance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Contd...

Value of goods	Duty foregone				Quantity received	Date of receipt of goods	Quantity not received	Quantity used for intended purpose	Used for Manufacturing goods that are supplied domestically [out of (18)]	Supply to end use recipient [out of (18)]	Used for Manufacturing goods that are exported [out of (18)]
	BCD	Other Customs duties	IGST	Cess							
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18A)	(18B)	(18C)

Contd...

Goods Re exported (Quantity)	Goods cleared on payment of duty (Quantity)	Quantity pending in stock	
		Quantity pending in the importer's premises	Quantity pending with job worker or other units of the importer
(19)	(20)	(21)	(22)

VA. Supply to end use recipient:

BE Number	BE Date	Port of import	Invoice S.No.	Item S.No.	Quantity sent to end use recipient	GSTIN of end use recipient	Delivery challan/e way bill	Date	IEC of the end use recipient (if applicable)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Contd..

Nature of Supply (choose one of the following*)	Replenishment Authorisation Detail #
(11)	(12)

* Replenishment ; Tariff Quota ; Export against supply ; # only in case of Replenishment

VB. Where the intended purpose is export, either by the importer or by the end use recipient:

BE Number	BE Date	Port of import	Invoice S.No.	Item S.No.	Whether exports are by end use recipient (yes/no)	GSTIN of end use recipient	Delivery challan/e- way bill [when supplied to end use recipient]	Quantity of imported inputs utilised in the goods exported	SB No.	SB Date	Port of export
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Contd..

SB Invoice S.No.	SB Item S.No.	Description of goods exported	Quantity Exported	Export under Replenishment (Y/N)	BRC Received (Y/N)	Additional Remarks
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

[F. No. 450/28/2016-Cus-IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.